Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of August, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. (i) In accordance with the Operational Guidelines for implementation of Fifteenth Finance Commission recommendations on Rural Local Bodies Grants during the period from 2021-22 to 2025-26 issued by Ministry of Finance (MoF) vide their letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 dated 14th July, 2021, MoF has released Rs.13385.70 crore as 1st installment of Fifteenth Finance Commission (XV FC) Tied Grants for Rural Local Bodies (RLBs) for FY 2021-22 to all States except Goa, Meghalaya and Nagaland for delivery of Basic Services of (a) supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling and (b) sanitation and maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management in rural areas.

(ii) During the month, Ministry of Panchayati Raj has recommended to Ministry of Finance for release of XV FC Grants for Rural Local Bodies in the States of Goa and Nagaland as under:

Sl. No.	State	XV FC Grants Recommended	Amount (Rs. Crore)
1	Goa	2nd instalment Tied for FY 2020-21	18.75
2	Nagaland	2nd instalment Basic **(**Untied**)** for FY 2020-21	31.25
		2nd instalment Tied for FY 2020-21	31.25
		1st instalment Basic **(**Untied**)** for FY 2021-22	18.4
Total			**99.65**

2. Based on the feedback/suggestions received from States during the VC meeting on the subject of making Gram Sabha Vibrant held under the chairmanship of Secretary, Panchayati Raj on 23rd July, 2021 followed by further deliberations thereupon, an advisory on making Gram Sabha Vibrant has been issued by the Ministry of Panchayati Raj to the States/UTs for implementation. The advisory contains various suggestions / practices to be implemented by States/RLBs towards making the Gram Sabhas vibrant. A follow up letter has been sent to all concerned line Ministries for taking necessary action.

3. The Disaster Management Plan (DMP) of Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has been finalized by MoPR after carrying out modifications based on the suggestions received from National Disaster Management Authority (NDMA). The Disaster Management Plan of MoPR has been approved by NDMA and conveyed to the MoPR on 27.08.2021.

4. A review meeting on AuditOnline with the representatives of States Panchayati Raj Departments was held under the chairmanship of Joint Secretary, MoPR on 3rd August, 2021. A target of 25% auditing of accounts for the F.Y. 2019-20 of Gram Panchayats by September, 2021 have been fixed through AuditOnline and the States are progressing towards achieving this target. For auditing of accounts for the F.Y. 2020-21 of all tiers of Rural Local Bodies in the States including Traditional Local Bodies (TLBs) in Non Part IX Areas in North Eastern Region (NER), a target of 100% auditing of accounts through AuditOnline during the current financial year 2021-22 has been fixed.

5. A meeting was held under the chairmanship of Secretary on 24th August, 2021 to review the progress of the Expert Group constituted by Ministry of Panchayati Raj on Localization of SDGs.

6. Inspired by the visibly satisfactory performance of the Gram Panchayats and other stakeholders involved in the PPCs during thelast three years and to provide sustainability to the GPDP formulation process into a participative and transparent exercise, it has been decided to continue the process of GPDP preparation for the financial year 2022-23 again in Campaign mode from 2nd October, 2021 to 31st January 2022. The preparatory activities to ensure the successful launch and conduct of the PPC are under way.

7. Under the SVAMITVA Scheme aiming to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 27 States/UTs have signed memorandum of understanding with the Survey of India for the implementation of Scheme and discussions are on-going with other States for signing of MoU. Milestone based targets are being set for Sates/UTs. Further, regular meeting (VCs) with States and SoI for implementation of Scheme in all States/UTs were also held. Orientation Training was provided to DC/DMs of Assam and Manipur. Due to restrictions imposed due to COVID-19 pandemic and weather conditions like high winds and rainfall has adversely impacted drone survey related activities in few areas. Till now, drone flying has been completed in 57119 villages and drone-survey completed in 51 districts. Meeting of the National Steering Committee of SVAMITVA held on 17th August, 2021 to take stock of the progress of the scheme so far and to discuss various implementation aspects of the scheme.

8. Management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2020-21, 93% of the GPs have closed their month books and 91% of the GPs have closed their year books. In the current year i.e. 2021-22, 77% GPs have closed their month books. 2,27,140

PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of August 2021- 1,23,649 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

9. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 21 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

10. Also, for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 (including Kerala) State have started registration of Auditors (6,869 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 1,19,502 GPs) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 26 States have started creating GP (Auditee) users (2,36,729 Auditees). 26 States have also recorded Observations (9,22,184 observations) on the application and 24 States have generated audit reports (86,624 Reports). For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 44,710 GPs in 20 States. Out of this 13 States have recorded observations (77,133 observation) and report have been generated by 9 States (4392 audit reports).

11. A National Webinar on ‘Sustainable Development Goals and Role of Panchayats – SDG No.2 – Zero Hunger was organized by the Ministry as part of Azadi Ka Amrut Mahotsav held on 23.08.2021. The webinar was inaugurated by the Minister, Panchayati Raj and was graced by Ministers of State of Panchayati Raj and Rural Development. The Webinar was attended to/joined by Senior Officers of MoPR, Central Ministries/Departments of Agriculture & Co-operation, Food Processing Industries, Rural Development, Land Resources, Food and Public Distribution, Women and Child Development. Besides, the Officers of the Panchayati Raj Departments of the State Governments and representatives of the Panchayati Raj Institutions also were in attendance.

12. In addition to the inaugural session, there were four technical sessions in four major topics having bearing on ending hunger which were addressed by the

concerned Ministries/Departments, representatives of World Food Programme of United Nations and office of Principals Scientific Adviser to the Government of India.

13. The Ministry facilitated awareness programme on consumer protection for members of PRIs in the States of Haryana in the series of such programme in second phase as requested by the Department of Consumer Affairs.

14. There were 50 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st August, 2021 and 339 (i.e. 308 online + 31 physical) grievances/ petitions were received during the month of August. Out of total 389 (339 received in August + 50 carried forward from last month), 300 grievances/petitions were disposed in August and 89 were carried forward as on 1st September, 2021.

15. During August 2021, 101 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

अगस्त, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. (i) वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान जारी उनके पत्र संख्या 15(2)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25 दिनांक 14 जुलाई, 2021, के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों अनुदान पर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गोवा, मेघालय और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य को (क) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण और (ख) घरेलू कचरे, मानव मल एवं मल कीचड़ के प्रबंधन और निदान सहित ओडीएफ स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के सुपुर्दगी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधन हेतु वित्त मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग बद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में 13385.70 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ii) इस माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने गोवा और नागालैंड राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को निम्नानुसार सिफारिश की है:

क्र.सं.	राज्य	अनुशंसित XV एफसी अनुदान	राशि करोड़ रुपये में
1	गोवा	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दूसरी बद्ध किस्त	18.75
2	नागालैण्ड	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दूसरी मूल (अबद्ध) किस्त	31.25
		वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दूसरी बद्ध किस्त	31.25
		वित्तीय वर्ष 2021-22 . के लिए पहली मूल (अबद्ध) किस्त	18.4
कुल			99.65

2. 23 जुलाई, 2021 को ग्राम सभा को जीवंत बनाने के विषय पर सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में आयोजित वीसी बैठक के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया/सुझावों के आधार पर उसके बाद आगे विचार-विमर्श के बाद, ग्राम सभा को जीवंत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए एक परामर्श जारी किया गया है। परामर्श में ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए राज्यों/आरएलबी द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न सुझाव/पद्धतियां शामिल हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक अनुवर्ती पत्र भेजा गया है।

3. पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधन करने के बाद एमओपीआर द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को एनडीएमए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और 27.08.2021 को पंचायती राज मंत्रालय को अवगत कराया गया है।

4. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 3 अगस्त, 2021 को राज्यों के पंचायती राज विभागों के प्रतिनिधियों के साथ ऑडिटऑनलाइन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। सितंबर, 2021 तक वित्तीय वर्ष के लिए खातों की 25% ऑडिटिंग का लक्ष्य ग्राम पंचायतों का वर्ष 2019-20 ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित किया गया है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए खातों की लेखा परीक्षा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर

भाग IX क्षेत्रों में पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) सहित राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के चालू वित्तीय वर्ष 2021- 22 के दौरान ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से खातों की 100% ऑडिटिंग का लक्ष्य तय किया गया है।

5. एसडीजी के स्थानीयकरण पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की प्रगति की समीक्षा के लिए 24 अगस्त, 2021 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान पीपीसी में शामिल ग्राम पंचायतों और अन्य हितधारकों के संतोषजनक प्रदर्शन से प्रेरित होकर और जीपीडीपी निर्माण प्रक्रिया को एक सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया में स्थिरता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पुनः 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक अभियान मोड में जीपीडीपी तैयारी की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। पीपीसी के सफल शुभारम्भ और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां चल रही हैं।

7. स्वामित्व स्कीम के तहत गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, योजना के कार्यान्वयन के लिए 27 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंतिम लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ नियमित बैठक (वीसी) भी आयोजित की गई थी। असम और मणिपुर के डीसी/डीएम को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों और तेज हवाओं और बारिश जैसे मौसम की स्थिति ने कुछ क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब तक 57119 गांवों में ड्रोन उड़ाने और 51 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। स्कीम की अब तक की प्रगति का जायजा लेने और स्कीम के विभिन्न कार्यान्वयन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 17 अगस्त, 2021 को आयोजित स्वामित्व की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई।

8. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त का प्रबंधन हेतु पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों पर सख्ती से जोर डाल रहा है। इस संबंध में, यह मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत के पंजीकरण के लिए राज्यों से अनुरोध कर रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए 93 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं और 91 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक पुस्तकें बंद कर दी हैं। चालू वर्ष यानी 2021-22 में 77% ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं। 2,27,140 पंचायती राज संस्थानों में ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) पर आए हैं। अगस्त

2021 के महीने में 1,23,649 पंचायती राज संस्थानों ने XV वित्त आयोग अनुदान के व्यय के लिए ईजीएसपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

9. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए; पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 21 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन के इस कार्य को पूरा कर लिया है।

10. साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए; मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक अनुप्रयोग - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है और आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने लेखा परीक्षकों का पंजीकरण (6,869 लेखा परीक्षक पंजीकृत) और 14वें वित्त आयोग के खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा योजना (1,19,502 ग्राम पंचायतों) की तैयारी शुरू कर दी है। 26 राज्यों ने जीपी (ऑडिटी) उपयोगकर्ता (2,36,729 लेखापरीक्षित) बनाना शुरू कर दिया है। 26 राज्यों ने भी इस अनुप्रयोग पर टिप्पणियों (9,22,184 टिप्पणियों) को दर्ज किया है और 24 राज्यों ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट (86,624 रिपोर्ट) तैयार की है। वर्ष 2020-21 के लिए 20 राज्यों में 44,710 ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है। इसमें से 13 राज्यों ने टिप्पणी (77,133 टिप्पणी) दर्ज किए हैं और 9 राज्यों (4392 लेखापरीक्षा रिपोर्ट) द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है।

11. इस मंत्रालय द्वारा 23.08.2021 को आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 'सतत विकास लक्ष्य और पंचायतों की भूमिका - एसडीजी नंबर 2 - जीरो हंगर' पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार का उद्घाटन माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा किया गया था और इसमें पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री शामिल थे। इस वेबिनार में पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालयों/कृषि और सहकारिता विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, महिला एवं बाल विकास के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, राज्य सरकारों के पंचायती राज विभागों के अधिकारी और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

12. उद्घाटन सत्र के अलावा, चार प्रमुख विषयों में चार तकनीकी सत्र थे, जो भूख को समाप्त करने से संबंधित थे जिन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा संबोधित किया गया था।

13. इस मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुरोध के अनुसार दूसरे चरण में इस प्रकार के कार्यक्रम की श्रृंखला में हरियाणा राज्यक में पीआरआई के सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम किए।

14. दिनांक 1 अगस्त, 2021 को मंत्रालय के पास 50 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और अगस्त माह के दौरान 339 (अर्थात 308 ऑनलाइन + 31 भौतिक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 389 (अगस्त में प्राप्त 339 + पिछले महीने से 50 अग्रेषित) में से 300 शिकायतों / याचिकाओं का अगस्त में निपटारा किया गया और 89 को 1 सितंबर, 2021 को आगे बढ़ाया गया।

15. अगस्त 2021 के दौरान, ई-ऑफिस सिस्टम में 101 ई-फाइलें खोली गई जो माह के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।